यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के माह 01/2017 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर सहायक, लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशी राम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19-03-2018 से 22-03-2018 तक श्री दनिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविशंकर, स.ले.प.अ एवं श्री अजय कुमार सचान स.ले.प.अ तथा श्री प्रमोद चौधरी, व.ले.प. द्वारा 16.01.2017 से 19.01.2017 तक श्री पुष्कर व.ले.प.अ पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था। जिसमें माह 12/2014 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र

3. (अ)- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, मे एक योजना है जो महिलाओ के गर्भ एवं स्वास्थ्य से संबन्धित है। योजना का नाम है-NHM।

   (ब)- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जिला पिथौरागढ़ है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू॰ लाख)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-) (समर्पण)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	00	00	264.66	241.36	00	00	00	23.3
2016-17	00	00	264.27	264.27	00	00	00	00
18-2017 (Up to Feb. 2017	00	00	323.85	283.44	00	00	00	40.41

(ब) (केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	एनएचएम	2078404	4125000	3707582	00	2495822
2016-17	एनएचएम	2495822	4184017	5414428	00	1265411
2017-02/2018	एनएचएम	1265411	1367000	1165294	00	1467117

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत राज्य सरकारव व केंद्र सरकार से है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. स्वास्थ्य सचिव 2. महानिदेशक 3॰ निदेशक 4 मुख्य चिकित्साधिकरी 5 चिकित्सा अधीक्षक।
2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 व 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य ,शक्तियां तथा सेवा की शर्ते (अधिनियम) 1971 ,डी पी सी एक्ट , (1971 की धारा ,13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रस्तर 01:- जीपीएफ़ खाते में जमा धनराशि से अधिक सामान्य भविष्य निधि अग्रिम रू 1.40/- लाख **(non-refundable)** का आहरण।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्साल्य पिथौरागढ़ के अधिकारियों/कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि से समन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया की कु बिशना थापा-वार्ड आया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वित्तीय वर्ष-2015-16 का अंतिम शेष रू 85475/- था। इसी क्रम मे वित्तीय वर्ष-2016-17 का opening balance रू 85475/- तथा अप्रैल-2016 से जुलाई-2016 तक का अभिदान ₹ 18764/- था, जो (OB+ अभिदान) मिलाकर जुलाई-2016 तक कुल रू॰104239/- धनराशि अभिदात्री के खाते में जमा थे। परंतु अभिदात्री के द्वारा रू 1.40/- लाख permanent अग्रिम के लिए आवेदन किया तथा GPF Advance non-refundable vide cms F.H.PTH order no-23/2016-17/FH, Dated-04-08-16 से इकाई द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस प्रकार अभिलेखों मे रू 104239/- की धनराशि खाते में शेष होने पर भी अभिदात्री को खाते में जमा धनराशि से अधिक रू 1.40/- लाख का GPF Advance non-refundable स्वीकृत किया गया जो वित्तीय नियमो के प्रतिकूल है तथा विभाग की लापरवाही का घोतक भी है।

लेखा परीक्षा द्वरा इंगित किए जाने पर इकाई द्वरा अपने उत्तर में बताया कि त्रुटि वश खाते में जमा धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया तथा भविष्य में ध्यान रखा जाएगा, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खाते/लेजर मे पर्याप्त धनराशि न होने के बाद भी जमा से अधिक अग्रिम स्वीकृत किया गया।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर 2- रू॰ 57.44/- लाख की धनराशि का अनुपयोगी रहना और न ही समर्पित करना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोपरान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके। जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ को लेखाशीर्ष 2210-01-110-15 के अन्तर्गत अनुदान के रूप मे वर्ष 2015-16 मे ₹ 65.00 लाख वर्ष 2016-17 मे ₹ 55.00 लाख तथा वर्ष 2017-18 मे ₹ 40.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त धनराशि के धनावंटन सम्बन्धी शासनादेश मे स्पष्ट रूप से निर्देशित था कि * आवंटित राशि के आहरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नियमानुसार बिल तैयार करके अध्यक्ष चिकित्सा प्रबन्धन समिति से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार मे बिल प्रस्तुत करेंगे तथा धनराशि आहरित करेंगे।* जो भी धनराशि 25 मार्च तक व्यय न होने की सम्भावना हो उसको प्रत्येक दशा मे 25 मार्च या उससे पहले निदेशक वित्त को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के बजट समबन्धि लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रश्नगत वर्षो में आवंटित बजट /अनुदान के राशि को कोषागार से सम्पूर्ण धनराशि आहरित कर चिकित्सा प्रबन्धन समिति के बैंक खाते मे जमा कर दिया गया था तथा उक्त वर्षो मे व्यय का विवरण निम्नवत था-

वर्ष	लेखाशीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	बजट आवंटन	कोषागार से आहरित राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अवशेष राशि
2015-16	15-110-01-2210	1883531	6500000	6500000	8383531	4914315	3469216
2016-17	15-110-01-2210	3469216	5500000	5500000	8969216	3271646	5697570
2017-18	15-110-01-2210	5697570	4000000	4000000	9697570	3953166	5744404

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत लेखाशीर्ष 2210-01-110-15 के अन्तर्गत प्रतेयक वर्ष धनराशि अवशेष थी, परन्तु शासन को प्रेषित बी॰एम॰-4 मे सम्पूर्ण धनराशि का व्यय दर्शाया गया था तथा सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र किया गया था। शासनादेश मे निहित प्राविधानों के इतर न केवल अनियमित व्यय किया गया अपितु अवास्तविक सूचना प्रेषित की गयी तथा रुपए 57,44,404.00 की धनराशि फरवरी 2018 के अन्त तक शेष थी जिसका न तो उपयोग किया गया था और ना ही अवशेष राशि समर्पित की गयी है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया पूर्व वर्ष की अवशेष धनराशि होने के कारण मांग के अनुसार प्राप्त बजट व्यय नही हो पाया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार बजट कि मांग आवशकता के अनुसार कि जानी चाहिए थी तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिए था जो कि इकाई द्वारा नहीं किया जा रहा था जिससे कि समर्पित धनराशि का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर 3:- ₹ 5.75 लाख मूल्य की निष्प्रयोज्य सामाग्री की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष मे कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है एवं नियम 196 ओर 197 के अनुसार अनुपयोगी सामाग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर यथाशीघ्र उसकी नीलामी की जानी अनिवार्य है ताकि सामाग्री को और ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के उपकरण/सामाग्री से संबन्धित पत्रावली एवं भंडार पंजिका की जाँच मे पाया गया की लगभग 164 उपकरण वर्ष 2014 से 2017 तक अप्रयुक्त पड़े हुए थे जिनका पुस्तकीय मूल्य लगभग ₹ 5.75 लाख था। यह निष्प्रयोजीय उपकरण/सामाग्री अधिकतर चिकित्सीय उपकरण से संबंधित थे, जिनकी नीलामी नहीं कि गयी थी। उपरोक्त उपकरण/सामाग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी नहीं किए जाने के कारण उक्त सामग्री का निरंतर मूल्य ह्रास हो रहा था।

आगे लेखा परीक्षा में पाया गया कि न तो भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया था और न ही निष्प्रयोज्य पड़ी सामाग्री/उपकरण की कई वर्षो से नीलामी प्रक्रिया अपनायी गयी। जिससे शासन को राजस्व हानि से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे स्वीकार किया कि भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा तथा नीलामी प्रक्रिया शीघ्र करा दी जाएगी एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अवगत करा दिया जाएगा।

अत: प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर 4:- समय अवधि बीत जाने के बाद भी रू॰ 13.06/- लाख की धनराशि लाभार्थियो को भुगतान न किया जाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना को एक महत्वपूर्ण अंतक्षेप के रूप में समाविष्ट किया गया था जिससे महिलाओं की पहुँच संस्थागत प्रसवों तक हो सके एवं जिसके प्रभाव से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। जे॰ एस॰ वाई॰ का उद्देश्य सभी महिलाओं को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा जारी जननी सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी को भुगतान प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक किया जा सकता है। जननी योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के अनुसारः-

1. प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व JSY फार्म भरा जाना चाहिए;
2. प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व पूर्ण भरे हुए JSY कार्ड स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए;

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 01/2017 से 02/2018 तक JSY योजना के अंतर्गत कुल रूपये 16,30,113.00 व्यय किया गया था। उक्त अवधि में जननी सुरक्षा योजना के प्रत्येक मामलें में JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी को भुगतान के इस बात का प्रमाणपत्र देना चाहिए था कि लाभार्थी JSY के मानदंडों के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। परंतु किसी भी मामलें में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यह प्रमाणपत्र अंकित नहीं किया गया। इसी तरह अधिकतर मामलों में चिकित्सालय द्वारा referral कार्ड संग्रहित नहीं किए गए थे।

इस प्रकार वर्ष 01/2017 से 02/2018 तक जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए रूपये 16.30 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

आगे अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 01/2017 से 02/2018 की लेखा परीक्षा अवधि मे कुल लाभार्थीयों 3053 में 848 ग्रामीण महिलाओ को (848*1400)=1187200/- तथा 119 शहरी महिलाओ को (119*1000)=119000/- 12 माह से 1 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी कुल 13,06,200/- प्रसव संबंधी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि उक्त धनराशि का भुगतान लाभार्थियों को भुगतान प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक किया जाना चाहिए था। लेकिन चिकित्सालय के द्वारा से आतिथि भुगतान नहीं किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि की तथा बताया कि जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्रसूता महिला के बैंक खाते मे हस्तांतरित करके किया जाता है। प्रसव के समय अधिकांश प्रसूता महिलाओ का बैंक खाता स॰ उपलब्ध न होने के कारण उनका भुगतान लंबित है। उत्तर मान्य नहीं है जननी सुरक्षा योजना के

प्रत्येक मामलें में JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए तथा निर्देशानुसार लाभार्थी को योजना का लाभ प्रसव के समय ही दिया जाना था जो नहीं दिया गया था, जिससे लाभार्थी वंचित थे तथा यह योजना के मूल उद्देश्यों को भी पूरा नहीं करता था।

अत : प्रकरण पकश मे लाया जाता है।

<u>भाग -दो (ब)</u>

प्रस्तर **5:-** नियमो एवं प्राविधानों के इतर रुपए 26327.22 का परिहार्य व्यय।

स्वास्थ निदेशालय उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या : 17 प / 7 /56/2001/18531 दिनांक 29.06.2002 द्वारा दिये गए निर्देशानुसार औषधियों की स्थानीय खरीद करते समय खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत कम मूल्य पर क्रय किया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के 01/2017 से 02/2018 तक स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय की गयी औषधियों से समबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि चिकित्सालय द्वारा साम्प्रेक्षा अवधि मे उक्त नियमो एवं प्रविधानों के इतर अनियमित रूप से रुपए 246458.39 की औषधि का क्रय किया गया तथा उक्त औषधि क्रय मे नियमो का पालन करने के कारण रुपए 26327.22 का परिहार्य व्यय किया गया जो शासन की हानी थी।

(स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय की गयी औषधि का विवरण संलग्न)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सालय द्वारा नियमो एवं प्राविधानों के इतर स्थानीय क्रय के माध्यम से रुपए 246458.39 की औषधि का क्रय किया गया तथा रुपए 26327.22 का परिहार्य व्यय किया गया जो शासन की हानि थी।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि स्थानीय क्रय हेतु टेंडर, एवं कोटेशन आमंत्रित कंरने पर किसी मेडिकल स्टोर द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया। अंत मे M/s पंत फार्मेसी पिथौरागढ़ वाले विशेष अनुरोध के बाद खुदरा मूल्य से 12% कम कीमत पर सहमत हो पाये।इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्देशानुसार औषधियों की स्थानीय खरीद करते समय खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत कम मूल्य पर क्रय किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1:-** भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के अन्तर्गत प्राप्त सीड मनी से रुपए 7.87 लाख का अनियमित व्यय।

सीड मनी /अनटाइड निधि के उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लेखित है कि सीड मनी /अनटाइड निधि का उपयोग केवल चिकित्सालय की मरम्मत/ सुधार कार्यों, पुताई एवं स्वच्छता जैसे कार्यों पर किया जाना चाहिये। सीड मनी /अनटाइड निधि का उपयोग अन्य कार्यों जैसे स्टेनशनरी, औषधियों, उपकरण क्रय एवं प्रचार प्रसार पर नहीं करना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ के सीड मनी से समबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2016-17 मे सीड मनी के अन्तर्गत प्राररंभिक शेष रुपए 57,512 की राशि थी तथा वर्ष रुपए 7,51,231 की राशि प्राप्त हुई थी जिसमे कुल रुपए 7,65,623 का व्यय दर्शाया गया था, परंतु व्यय विवरण मे रुपए 858021की राशि का व्यय किया गया था। कुल उपलब्ध धनराशि रुपए 808743 के सापेक्ष रुपए 858021 की राशि व्यय किस प्रकार कर दिया गया ? इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था था इसके अतिरिक्त सम्प्रेक्षा अवधि 01/2017 से 02/2018 में सीड मनी/अनटाइड निधि में से चिकित्सालय की मरम्मत/ सुधार कार्यों, पुताई एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों पर न करके धनराशि रूपये 7.87 लाख का व्यय उकरण एवं औषधि मद मे किया गया था, जिसका विवरण निमन्वत था-

क्र.सं.	वर्ष		किस मद पर व्यय किया	विक्रेता/आपूर्तिकर्ता का विवरण	राशि
1	17-2016		चिकित्सकीय उपकरण	कृपाल फैब्रिकेटर्स	32891
2	17-2016		लेबर टेबेल	एस॰एस॰ मेडिकल्स	42805
3	17-2016		चिकित्सकीय उकरण	दून ट्रोनिक्स	92400
4	17-2016		चिकित्सकीय उकरण	सूर्या मेडिकल्स	35952
5	17-2016		चिकित्सकीय उकरण	दून ट्रोनिक्स	2520
6			अलमीरा क्रय	साह एजेन्सी	18000
7			औषधि क्रय	सूर्या मेडिकल एण्ड सर्जिकल	18165
8			चिकित्सकीय उकरण	कृपाल फैब्रिकेटर्स	109096
9			चिकित्सकीय उकरण	जिज्ञान्सा ट्रेडर्स	45000
10			चिकित्सकीय उकरण	साईं इलेक्ट्रिकल्स	13898
11			चिकित्सकीय उकरण	कृपाल फैब्रिकेटर्स	93010
12			चिकित्सकीय उकरण	एसेंट मेडिकल सिस्टम	236513
13			चिकित्सकीय उकरण	श्रीधर ट्रेडर्स	44083
14			चिकित्सकीय उकरण	कृपाल फैब्रिकेटर्स	2832
कुल योग					**787165**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रूपये 7.87 लाख की धनराशि का व्यय नियमो एवं प्राविधानों से इतर किया गया, जबकि उक्त राशि से चिकित्सालय के मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य कराया जाना था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशों के अनुसार धनराशि व्यय की गयी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रू॰ 7.87/- लाख की धनराशि का व्यय नियमो एवं प्रविधानों से इतर किया गया।

अत: प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
132/2016-17	शून्य	1,2	1,2
146/2014-15	शून्य	1	00
91/2005-06	शून्य	1	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
132/2016-17 146/2014-15 91/2005-06	----------	अप्रस्तुत --------		इकाई द्वारा विगत लेखा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों की अनुसंशा सहित प्रस्तुत नहीं की गयी।

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
3. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।

4. सतत् अनियमितताए

(i) शून्य

5. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ निर्मला पुनेठा	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	05/2015 से 09.09.2015

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि वह इस पत्र की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकर (लेखा परीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकर भवन, कौलागढ़ रोड देहारादून को प्रेषित कर दे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.